से अधिवक्ता ने वाद पत्र को संशोधित वाद पत्र अनुसार डिक्रि करने के कथन एवं प्रतिवादी संख्या 5 व रूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस ी गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र ीत पैराज को प्रतिवादीगण की ओर से वाद का समर्थन किया गया है। मुतदाविया भूमि वादीगण एवं ादी की सहखातेदारी की भूमि है। वकिल प्रतिवादीगण ने वाद को संशोधित वादपत्र के पैराज अनुसार डिक्रि जाने का निवेदन दौराने बहस किया। वादग्रस्त भूमि सयुंक्ज खातेदारी दर्ज होने से वादी का वादी कार किया जाकर डिकी किया जावे।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम वर्तमान कल जमाबन्दी प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार तथा वादी एवं प्रतिवादी गण सहखातेदार दर्ज है। वादी के कथनानुसार वादीनी इन्द्रादेवी ने 1/16 वा हिस्सा व वादी रामनारायण ने 9/80 वा हिस्सा तथा सुरजाराम ने 1/16 वां हिस्सा जमीन खरीदकर राजी खुशी कब्जा प्राप्त कर शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करते आ रहे, चुंकि वादीगण एवं प्रतिवादी गण सयुंक्त खातेदार दर्ज है तथा सहखातेदार अपनी जोत का अलग निर्धारण करवाने के अधिकारी भी है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 इन्द्रादेवी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा दोतिणा के खसरा नम्बर 70 रकबा 3.0432 हैक्टेयर में से रकबा 0.1902 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 रामनारायण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दौतीणा के खेत खसरा नम्बर 70 रकबा 3. 0432 हैक्टेयर में से रकबा 0.34236 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 3 सुरजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा के खेत खसरा नम्बर 70 रकबा 3. 0432 हैक्टैयर में से रकबा 0.1902 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. शेंष खाता यथावत बदस्तुर घोषित किया जाता है।
5. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
6. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28/08/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner